बिक्री करने हेतु एकरारनामा किये है, परन्तु उक्त जमीन संतोष कुमार साव खरीदना चाहते हैं। उक्त जमीन के लिए वे विपक्षी से बराबर झगड़ा करते हैं तथा परेशान करने के नियत से मुकदमा में नाम देकर फंसाने का काम किये हैं। कथित एफ0सी0आई0 का 35 किलोग्राम चावल को संतोष कुमार साव पिता श्री राम नाथ साव, ग्राम–सोह, थाना+जिला–गढ़वा वो राकेश कुमार गुप्ता पिता स्व0 गुलाबचन्द साव, ग्राम–टण्डवा नगर पंचायत गढ़वा को मौके वारदात से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पकड़कर जब्त किये जाने का आरोप है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। संतोष कुमार साव द्वारा विपक्षी मुकेश कुमार गुप्ता को गलत एवं झुठे तौर पर फंसाया गया है। विपक्षी के घर से कोई चावल जब्त नहीं किया गया है। दाखिल जवाब में उनके द्वारा कार्रवाई को बन्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं उनके ओर से दाखिल जवाब के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का प्रस्तुत कथन एवं विपक्षीगण की ओर से दाखिल जवाब में उल्लेखित तथ्यों के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्त चावल सरकारी अर्थात जन वितरण प्रणाली का है। विपक्षी राकेश कुमार एवं मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल जवाब के अनुसार जब्त चावल पर इनका कोई दावा नहीं है। चूँकि जवाब में राकेश कुमार गुप्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि विपक्षी दावा नहीं करता एवं प्रश्नगत चावल का खरीदी नहीं किये थे। इसी प्रकार मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्टतः उजागर किया गया है कि कथित एफ0सी0आई0 का 35 किलोग्राम चावल को संतोष कुमार साव पिता श्री रामनाथ साव, ग्राम–सोह, थाना व जिला–गढ़वा को राकेश कुमार गुप्ता पिता स्व0 गुलाबचन्द साव, ग्राम–टण्डवा नगर पंचायत गढ़वा को मौके वारदात से गढ़वा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पकड़कर जब्त किये जाने का आरोप है जिससे विपक्षी को कोई लेना देना नहीं है। जहां तक विपक्षी संतोष कुमार साव का यह कथन कि इनके द्वारा चावल किराना दुकान से खरीदकर अपने दुकान में ले जाया जा रहा था, असत्य एवं निराधार प्रतीत होता है। चूँकि इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही विपक्षीगण का जवाब अपने आप में एक दूसरे का विरोधाभाषी है।

फलतः उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 1493/आ0 दिनांक 25.09.2020 में वाद से संबंधित वर्णित जब्त चावल वजन लगभग 35 किलोग्राम सरकारी अर्थात जन वितरण का है, जिसका अधिहरण किया जाता है एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा को आदेश दिया जाता है कि उक्त जब्त चावल नियमानुसार खुला डाक कराकर प्राप्त राशि को जिला नजारत में एक सप्ताह के अंदर जमा करावें।

लेखापित एवं संशोधित

17/11/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

17/11/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17.11.20	**अधिहरण वाद सं0– 26/2020–21** जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा बनाम राकेश कुमार गुप्ता एवं अन्य **आदेश** यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 1493/आ0 दिनांक 25.9.2020 द्वारा जन वितरण प्रणाली के एक प्लास्टिक बैग में लगभग 35 किलोग्राम चावल को अधिग्रहण करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी राकेश कुमार गुप्ता, संतोष कुमार साव एवं मुकेश कुमार गुप्ता को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षीगण की ओर से दाखिल जवाब का अवलोकन किया। विपक्षी राकेश कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल जवाब में मुख्य रूप से कहना है कि वे एक दुकानदार हैं जिनके दुकान से 35 किलोग्राम चावल जब्त करने की बात कही गई है। जब्ती सूची में यह स्पष्ट नहीं है कि चावल का बोरा बंद था अथवा नहीं। साथ ही यह कहना कठिन है कि जब्त चावल सरकारी है। लाभूक मुकेश कुमार गुप्ता के घर में खोज किया गया परन्तु जन वितरण प्रणाली से संबंधित चावल नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि मुकेश कुमार गुप्ता सरकारी योजना के लाभूक नहीं है। इतना ही नहीं संतोष कुमार साव के किराना दुकान में भी खोज किया गया परन्तु जन वितरण प्रणाली दुकान से संबंधित कोई चावल नहीं पाया गया। जवाब में उनका यह भी कहना है कि घटना का स्थान घनी आबादी वाले क्षेत्र होने एवं अनेक दुकानदारों द्वारा दुकान खुला रखने के बावजूद भी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा विपक्षी के पास चावल पाये जाने के संबंध में गवाही नहीं किया गया है। यहां तक कि जब्ती सूची पर विपक्षी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है जबकि नियमतः किसी संबंधित व्यक्ति को तामिल कराया जाना चाहिए। जन वितरण प्रणाली लाभूकों को उसना चावल आपूर्ति किया जाता है जबकि जब्त चावल उसना होने के संबंध में न तो प्राथमिकी में दर्ज है और न जब्ती सूची में ही। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत चावल न तो खरीदा गया है और न तो उनका किसी प्रकार का अपना दावा ही है। विपक्षी के विरूद्ध चलाया जा रहा कार्यवाही गलत है। अपने जवाब में उन्होंनें विपक्षी के विरूद्ध चल रही इस कार्यवाही को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया है। विपक्षी संतोष कुमार साव की ओर से दाखिल जवाब में कहना है कि विपक्षी के विरूद्ध प्रारंभ किया गया अधिहरण वाद विधि एवं तथ्य दोनो ही दृष्टिकोण से असंगत एवं खारिज योग्य है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध अधिहरण वाद के लिए अनुशंसा की गयी है। विपक्षी द्वारा किसी राशन दुकान से चावल नहीं खरीदा गया है उनके द्वारा किराना दुकान से खरीदकर अपने दुकान में ले जाया जा रहा था। जवाब में आगे उनका यह भी कहना है कि विपक्षी के दुकान से किसी तरह का कोई भी राशन का चावल नहीं पाया गया है। उन्होंनें अपने जवाब में अधिहरण वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुये विपक्षी के पक्ष में जब्त चावल मुक्त करने हेतु अनुरोध किया है। विपक्षी मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल जवाब में कहना है कि विपक्षी अत्यन्त ही निर्धन परिवार के सदस्य हैं। उनके पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत हुई है तथा खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन भी मिलती है। वे अपना पैतृक जमीन में से पाँच डीसमील जमीन सुशील पाण्डेय पिता राजेन्द्र पाण्डेय से	